

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1412 /2021

दिनांक :- 01.07.2021

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.11.
(3) न्याय/2002. दिनांक 08.09.2005 मण्डित राजकीय सेवा नियम 1951 के
नियम 91-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनांक 01.04.2000
से दो वर्षों के प्रत्येक ब्लाक में अधिकतम 30 दिवस के उपार्जित अवकाश का नकद
भुगतान अनुज्ञेय किया गया है। अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार
अधोनिखित तानिकानुसार उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता
है। जिसकी प्रविष्टी सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या	ब्लॉक वर्ष	समर्पित अवकाश की दिनांक
	श्रीमती हिना परिहार (RJ0491).			
1.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-05, अजमेर।	30	2020-2022	19.06.2021

आज्ञा से,


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
दिनांक: 1/7/2021

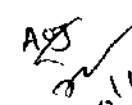
क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/43/2005/4149

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शामन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर।
3. श्रीमती हिना परिहार (RJ0491), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम-05, अजमेर।


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
दिनांक: 30.06.2021


30/6/21


30/6